कार्यालयः वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

Office of Conservator of Forests, Territorial Circle, Medininagar.

ईमेल / Email: **cfmedininagar@gmail.com**

दूरभाष / Phone: **06562.224953,8987790232**

पत्रांक– 695 मेदिनीनगर, दिनांकः– 16.12.2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची ।

विषयः– मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।

प्रसंगः– आपका ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 एवं पत्रांक 514 दिनांक 23.06.2025 तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल का पत्रांक 2926 दिनांक 28.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) कुल– 121.29 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु समर्पित प्रस्ताव के संदर्भ में भवदीय का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा पृच्छित तीन बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 189 दिनांक 29.04.2025 द्वारा भवदीय को समर्पित किया गया था।

पुनः भवदीय का पत्रांक 514 दिनांक 23.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि पृच्छा संख्या–02 का निराकरण प्रतिवेदन अपूर्ण है। उक्त पृच्छा के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने अपने प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदित किया है, जो निम्नवत है :–

क्रम संख्या	पृच्छित बिन्दु	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का अभियुक्ति
1.	परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि / गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation के Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता संस्थान द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये वगैर पूर्व में गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया है। जंगल–झाड़ी भूमि वन प्रमण्डल पदाधिकरी के प्रशासनिक नियत्रण में नहीं होने के कारण वैधानिक कार्रवाई नही की जा सकी है। इसके लिए प्रमण्डलीय पत्रांक 1041 दिनांक 07.10.2024, पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025 एवं पत्रांक 1469 दिनांक 24.09.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है।, उपायुक्त, लातेहार से किसी

		भी कार्रवाई के संबंध में सूचना अप्राप्त है। वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 संशोधन हेतु दिनांक 31 अगस्त 2025 को निर्गत अधिसूचना के धारा –11 के बिन्दु संख्या–2 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु प्रमण्डलीय पत्रांक 2853 दिनांक 19.11.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव की माँग की गयी है, तथा वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन पमण्डल का पत्रांक 2845 दिनांक 18.11.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 648 दिनांक 21.11.2025 द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 संशोधन हेतु दिनांक 31 अगस्त 2025 को निर्गत अधिसूचना के धारा –11 के बिन्दु संख्या–2 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु अनुमति के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर से अनुरोध किया गया है।

संचिका के माध्यम से क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू, मेदिनीनगर का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः भवदीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन

15/12/25

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

10.12.25

P.F-10

-: कार्यालय :-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।
Email – dfo-latehar@gov.in
Mobile No. –8987790240
Pin Code - 829206

पत्रांक 2926 / दिनांक 28.11.2025 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल मेदिनीनगर।

विषय : मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव संख्या (FP/JH/RAIL/47332/2020) के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 एवं ज्ञापांक 514 दिनांक 23.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स सी0सी0एल0 के मगध रेलवे साईडिंग हेतु 121.29 हे0 (चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल अंतर्गत 17.01 हे0 एवं लातेहार वन प्रमण्डल अंतर्गत 104.28 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव संख्या (FP/JH/RAIL/47332/2020) में प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का ज्ञापांक 72 दिनांक 21.01.2025 द्वारा तीन बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। जिसका निराकरण प्रतिवेदन इस कार्यालय का पत्रांक 645 दिनांक 22.03.2025 द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु आपको अग्रसारित कर दी गयी थी।

पुनः प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड रांची का ज्ञापांक 514 दिनांक 23.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि पृच्छा सं0 2 का निराकरण प्रतिवेदन अपूर्ण है। जिसका अद्यतन स्थिति निम्नवत है:–

Sl. No	EDS	DFO Remarks
1	परियोजना में वनभूमि/ गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि में प्रतिवेदित Violation के Details तथा वनवाद की वर्तमान अद्यतन स्थिति अप्राप्त है।	प्रयोक्ता संस्थान द्वारा सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त किये वगैर पूर्व में गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया है। जंगल–झाड़ी भूमि अधोहस्ताक्षरी के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं होने के कारण वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इसके लिए इस कार्यालय के पत्रांक 1041 दिनांक 07.10.2024, पत्रांक 307 दिनांक 11.02.2025 एवं पत्रांक 1469 दिनांक 24.09.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया है। प्रयोक्ता संस्थान द्वारा किये गये जंगल–झाड़ी भूमि पर Violation के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार से किसी भी कार्रवाई के संबंध में इस कार्यालय में सूचना अप्राप्त है। वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम 1980 एवं वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) नियम 2023 में

-: कार्यालय :-

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल।

Email – dfo-latehar@gov.in

Mobile No. –8987790240

Pin Code - 829206

		संशोधन हेतु दिनांक 31 अगस्त 2025 को निर्गत अधिसूचना के धारा–11 के बिन्दु संख्या 2 के आलोक में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालय में शिकायत दर्ज करने हेतु इस कार्यालय का पत्रांक 2853 दिनांक 19.11.2025 द्वारा उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव मॉगा गया है, जिसकी सूचना इस कार्यालय का पत्रांक 2845 दिनांक 18.11.2025 द्वारा भवदीय को दी गयी है। उपायुक्त, लातेहार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 3A एवं 3B के तहत माननीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की जायेगी।

अतः यह आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
लातेहार वन प्रमण्डल।

23.11.25